[2008] 3 एस.सी.आर. 752

डी. जी. रेलवे सुरक्षा बल और अन्य

बनाम

के. रघूराम बाबू

(2002 की सिविल अपील सं. 3964)

मार्च 3, 2008

[एच. के. सेमा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 - नियम 153(8) - नियम 153(8) के अंतर्गत आरोपित कर्मचारी को मित्र की सहायता - तथापि, मित्र को जांच अधिकारी को संबोधित करने अथवा गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं - संवैधानिक वैधता - अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 153(8) प्रतिनिधित्व का सीमित अधिकार प्रदान करता है - यदि नियम द्वारा सहायता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, तब भी कोई अवैधता नहीं - अतः नियम 153(8) संवैधानिक रूप से वैध है।

प्रत्यर्थी कर्मचारी को दुराचरण के लिये निलंबित किया गया। प्रत्यर्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी। प्रत्यर्थी को सुने जाने का अवसर दिया जाने पर उसके द्वारा अपने बचाव में एक मित्र को नियुक्त

किया गया। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 153(8) के अंतर्गत ऐसे मित्र को जांच अधिकारी को संबोधित करना अथवा गवाह से प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं थी। प्रत्यर्थी द्वारा नियम 153(8) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 153(8) असंवैधानिक है तथा उसे निष्फल कर दिया। फलस्वरूप वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

1.1 किसी भी आरोपित कर्मचारी में अधिवक्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रतिनिधित्व का निहित अथवा पूर्ण अधिकार नहीं है, जब तक संविधि अथवा नियम/स्थाई आदेश ऐसा अधिकार उपबंधित ना करते हो। इसके अतिरिक्त यदि नियमों द्वारा प्रदान भी किये गये हैं, तब भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार सीमित अथवा नियंत्रित अधिकार के रूप में प्रदान किया जा सकता है। प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व अस्वीकृत करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।(पैरा 10) [756-ए, बी]

1.2 रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 का नियम 153(8) आरोपित कर्मचारी को मात्र प्रतिनिधि के माध्यम से सहायता प्रदान करने के संबंध में उपबंधित करता है। ऐसे किसी मित्र को जांच अधिकारी को संबोधित करने

अथवा गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं है। अतः नियम 153(8) द्वारा प्रतिनिधित्व का सीमित अधिकार प्रदान किया गया है। यदि नियमों द्वारा सहायता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, तब भी उसमें अवैधता अथवा असंवैधानिकता नहीं होगी। जब एक सीमित अधिकार प्रदान किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सीमित अधिकार असंवैधानिक है। अतः नियम 153(8) संवैधानिक रूप से वैध है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में लिया गया मत उचित नहीं है आैर अपास्त किया जाता है।(पैरा 5,7,11,12 और 13) [755-ए, डी; 756 - सी, डी, ई]

सिपला लिमिटेड व अन्य बनाम रिपु दमन भानोट व अन्य 1999(4) एस.सी.सी. 188 पर निर्भर रहा गया।

एन.के. कालिन्दी व अन्य बनाम मैसर्स टाटा लोकोमोटिव एवं इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 1960 एस. सी. 914; ब्रूक बाॅण्ड इंडिया बनाम सुब्बा रमन 1961(11) एल.एल.जे. 417; भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र जनरल कामगर युनियन 1999(1) एस.सी.सी. 626 को उल्लिखित किया गया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3964/2002

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के रिट अपील संख्या 1397/1998 में पारित आदेश दिनांकित 07.09.2001 से प्रस्तुत

डाॅक्टर आर.जी. पाडिया, शिप्रा घोष, बी.के. प्रसाद तथा अनिल कटियार अपीलार्थियों की ओर से।

न्यायालय का यह निर्णय मार्कण्डेय काटजू, जे., द्वारा परिदत्त किया गया।

01. यह अपील आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 1397/1998 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांकित 07.09.2001 के विरुद्ध विशेष अनुमति से दायर की गयी है।

02. प्रत्यर्थी रेलवे सुरक्षा बल में निरीक्षक था। दिनांक 18.09.1995 को उसे लगभग दस हजार रुपये के मूल्य की रद्दी का अधिक वितरण करने के आरोप में निलंबित किया गया। उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी, जिसमें उसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें उसने एक मित्र को उसका बचाव करने के लिये नियुक्त किया।

03. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधिपति के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गयी, जिसे खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध एक रिट अपील प्रस्तुत की गयी तथा रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 (इसके उपरांत इसे "नियम" से संबोधित किया जायेगा), जो

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाये गये हैं, के नियम 153(8) की संवैधानिकता निर्धारित करने हेतु उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को मामला प्रेषित किया गया।

04. पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 153(8) तर्कसंगत नहीं होने के कारण असंवैधानिक है तथा परिणामस्वरूप नियम 153(8) को निष्फल कर दिया। पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध यह अपील दायर की गयी है।

नियम के नियम 153(8) के अनुसार :

> "आरोपित अभ्यावेशित सदस्य को कार्यवाहियों में विधि व्यवसायी लाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी किंतु उसे किसी अन्य बल-सदस्य की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मित्र" कहा गया है) सहायता लेने के लिये वहां अनुज्ञात किया जा सकेगा जहां जांच अधिकारी की यह राय हो कि आरोपित अभ्यावेशित सदस्य स्वयं अपनी प्रतिरक्षा उचित रूप से नहीं कर सकता। ऐसा "मित्र" अपनिरीक्षक की या उससे नीचे की रैंक का सेवारत बल-सदस्य होना चाहिए जो तत्समय उसी मंडल या बटालियन में जहां कार्यवाही लंबित है, तैनात हो आैर जो किसी अन्य स्थान में लंबित किसी अन्य कार्यवाही में "मित्र" के रूप में कार्य न कर रहा हो। किंतु

"मित्र" को जांच अधिकारी को संबोधित करने या साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।"

(महत्व दिया गया)

05. नियम 153(8) के अंतिम वाक्य (जिसे रेखांकित किया गया है) को विवेकाधीन तथा असंवैधानिक होने के कारण चुनौती दी गयी है। उक्त वाक्य यह व्यक्त करता है कि एक मित्र को जांच अधिकारी को संबोधित करने तथा गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा नहीं होगी। अतः आरोपित कर्मचारी का मित्र उसकी सहायता मात्र प्रकरण की तैयारी में तथा सुनवायी के दौरान कर सकेगा, परंतु आरोपित कर्मचारी को स्वयं जांच अधिकारी को संबोधित करना होगा तथा गवाहों से प्रतिपरीक्षा करनी होगी, यदि वह ऐसा चाहे।

06. यह भी व्यक्त किया जाता है कि नियम 153.10 (बी) व्यक्त करता है कि यदि मौखिक साक्ष्य है, तो आरोपित कर्मचारी को गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा होगी। अतः ऐसा नहीं है कि जांच में प्रतिपरीक्षा का कोई अधिकार अनुज्ञप्त नहीं है। तथापि, आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रतिपरीक्षा स्वयं की जायेगी, ना कि उसके मित्र के द्वारा। इसी प्रकार जांच अधिकारी के समक्ष बहस मात्र आरोपित कर्मचारी द्वारा ही की जा सकेगी, ना कि उसके मित्र के द्वारा।

07. हमारी राय यह है कि आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है।

08. एन.के. कालिन्दी व अन्य बनाम मैसर्स टाटा लोकोमोटिव एवं इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 1960 एस. सी. 914 से यह सुस्थापित किया गया है कि सामान्यतः घरेलू/विभागीय जांच में दुराचरण के आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष स्वयं संचालित करना होगा। ब्रूक बाॅण्ड इंडिया बनाम सुब्बा रमन 1961(11) एल.एल.जे. 417 से यह सुस्थापित किया गया है कि ऐसी जांच ना तो वाद है आैर ना ही फौजदारी प्रकरण, जहां एक पक्षकार के पास अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करवाये जाने का अधिकार हो। ऐसा मात्र तभी होगा जब कोई नियम अभियुक्त को किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करवाने की अनुमति प्रदान करता हो, जिसे वह जांच में अपना प्रतिनिधि होने का दावा कर सके।

09. इसी प्रकार सिपला लिमिटेड व अन्य बनाम रिपु दमन भानोट व अन्य 1999(4) एस.सी.सी. 188 में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिनिधित्व को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। यह विनिश्चय पूर्व में भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र जनरल कामगर युनियन 1999(1) एस.सी.सी. 626 में लिये गये विनिश्चय का अनुसरण करता है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा संपूर्ण निर्णय विधि का पुनर्विलोकन किया गया है।

10. उपरोक्त विनिश्चय के अनुसरण में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी भी आरोपित कर्मचारी में अधिवक्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रतिनिधित्व का निहित अथवा पूर्ण अधिकार नहीं है, जब तक संविधि अथवा नियम/स्थाई आदेश ऐसा अधिकार उपबंधित नहीं करते हों। इसके अतिरिक्त, यदि नियमों द्वारा प्रदान भी किया गया है, तब भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार समिति अथवा नियंत्रित अधिकार के रूप में प्रदान किया जा सकता है। प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व अस्वीकृत करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।

11. हस्तगत मामले में नियम 153(8) आरोपित कर्मचारी को मात्र प्रतिनिधि की सहायता के संबंध में उपबंधित करता है। अतः नियम 153(8) द्वारा प्रतिनिधित्व का एक सीमित अधिकार प्रदान किया गया है। यदि नियमों द्वारा सहायता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता, तब भी उसमें अवैधता अथवा असंवैधानिकता नहीं होगी। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि जब एक सीमित अधिकार प्रदान किया गया है, तो वह सीमित अधिकार असंवैधानिक है?

12. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आक्षेपित निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमत हैं तथा यह मत रखते हैं कि नियम 153(8) संवैधानिक रूप से वैध है।

13. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, यह अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अक्षत वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।